Phone & Fax No. 01476-230257
nagarpalika_kapasan@yahoo.com

कार्यालय नगर पालिका, कपासन

जिला चित्तौड़गढ़ राजस्थान

क्रमांक / न.पा.क. / अग्निशमन / 21–22 / 4563 दिनांक 23/09/21

श्रीमान् प्रधानाचार्य,
स्वामी विवेकानन्द राज. मॉडल स्कूल,
ब्लॉक कपासन जिला चित्तौड़गढ़

विषय :– फायर सेफटी सर्टिफीकेट प्रदान करने बाबत्।
प्रसंग :– आपका पत्र क्रमांक / स्वामी.वि.मॉ.स्कू / सामा / 2021 / SPL दिनांक 18.09.2021 के सन्दर्भ में।

महोदय,

उपरोक्त प्रासंगिक पत्र के सन्दर्भ मे निवेदन है कि आपके पत्रानुसार विद्यालय मे फायर सेफटी हेतु आवश्यक सुविधाएं अग्निशमन यंत्र (संख्या 12) उपलब्ध है तथा यथोचित जगहो पर स्थापित कर रखा है। इन अग्निशमन यंत्रों को जुलाई 2021 को रिफिल भी करवा दिया गया है। विद्यालय मे पानी की भी समुचित व्यवस्था है। इस प्रकार विद्यालय का सम्पूर्ण भवन अग्निशमन हेतु पूर्णतः सुरक्षित होना बताया जाकर विद्यालय के नाम फायर सेफटी सर्टिफीकेट चाहा गया।

पालिका कार्मिक द्वारा प्रस्तावित भूमि का मौका निरीक्षण किया गया है, कपासन नगर से प्रस्तावित भूमि तक पहुंच मार्ग होने से अग्निशमन की आवश्यकता उत्पन्न होने पर भिजवाई जाने मे किसी प्रकार की कोई आपत्ति होना प्रतीत नही होता है।

अतः आप द्वारा वांछित विद्यालय के नाम फायर सेफटी सर्टिफिकेट निम्न शर्तो के अधीन प्रदान किया जाता है, जो निम्न प्रकार है।

1 विद्यालय मे फायर सेफटी हेतु आवश्यक सुविधाऐं अग्निशमन यंत्र उपलब्ध रखने होगें तथा भविष्य मे भी इन यंत्रो को अपने स्तर से रिफिल करवाने होगें।
2 विद्यालय मे फायर प्रोटेक्शन एवं लाईफ सेफ्टी की पूर्ण व्यवस्था हेतु भविष्य मे आवश्यक कार्यवाही समय–समय सम्पादित करनी होगी।
3 विद्यालय मे पानी की समुचित व्यवस्था रखनी होगी।
4 विद्यालय को पेट्रोलियम भण्डारण के नजदीक धुम्रपान, मोबाईल, खुली आग व विद्युत लाईन पूर्ण रुप से निषेध रखनी होगी।
5 व्यवस्थापक को पेट्रोलियम भण्डारण के आस लगे व टुल्स स्पार्क प्रुफ चिंगारी रहित रखने होगें।
6 व्यवस्थापक को एन बी सी के अनुरुप मे निर्माण एवं विस्फोटक अधिनियम 2002 की पालना एवं अग्निशमन यन्त्र स्थापित किए जाने होगें।
7 विद्यालय मे फायर प्रुफ विद्युत केबल / तारो का ही उपभोग करना होगा।
8 अग्निशमन वाहन आने जाने का रास्ता खुला रखना होगा। साथही एकीकृत भवन विनियम 2017 के विनियम 8.2.2 वाणिज्यिक भवन के बिन्दु सं. (ज) के मापदण्ड़ अनुसार समस्त व्यवस्था विद्यालय को अपने स्तर पर करना होगी।

उपरोक्त बिन्दु संख्या 1 से 8 तक मे वर्णित निर्देशों विद्यालय द्वारा सुनिश्चित नही करने की स्थिति मे यह अभिशंषा पत्र स्वतः ही निरस्त माना जायेगा तथा निर्माण पूर्ण होने पर अग्निशमन व्यवस्था कर स्थाई फायर अनापत्ति लिया जाना अनिवार्य होगा।

सादर!

अधिशाषी अधिकारी
नगर पालिका, कपासन

अधिशाषी अधिकारी
नगर पालिका, कपासन

Scanned with CamScanner